बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

टैन क्या है?

उत्तर : टैन या कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक होता है जो कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं. सभी टीडीएस / टीसीएस विवरणियों (ई-टीडीएस / टीसीएस विवरणी सहित), टीडीएस / टीसीएस भुगतान चालानों तथा टीडीएस / टीसीएस प्रमाणपत्रों में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है.

टैन रखना अनिवार्य क्यों है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के प्रावधानों में यह अपेक्षित है कि स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति टैन के आबंटन के लिए आवेदन करें. इस धारा के अनुसार, सभी टीडीएस / टीसीएस वार्षिक सूचना विवरणियों , भुगतान चालानों तथा जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्रों में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है. यदि टैन का उल्लेख नहीं किया गया है तो टीडीएस / टीसीएस विवरणियां टिन - सहायता केन्द्रों (टिन -एससी) द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी और टीडीएस / टीसीएस भुगतानों के लिए चालान बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे. टैन के लिए आवेदन न करने या निर्दिष्ट दस्तावेजों में उसका उल्लेख न करने पर 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है.

टैन के लिए किसे आवेदन करना चाहिए?

उत्तर: ऐसे सभी व्यक्तियों को टैन के लिए आवेदन करना चाहिए तथा टैन प्राप्त करना चाहिए जिनसे आयकर विभाग की ओर से स्रोत पर कर काटने / संग्रहण करने की अपेक्षा की गयी है.

टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : टैन के आबंटन हेतु आवेदन फॉर्म 49बी में फाइल किया जाना चाहिए और उसे किसी भी टिन - एफसी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. टिन - एफसी के पते एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, आप एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म 49बी मुझे कहां से मिल सकता है?

उत्तर : फॉर्म 49बी को एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है. यह टिन - एफसी में भी उपलब्ध है. फॉर्म 49बी की सुस्पष्ट फोटोप्रतियां या आईटीडी द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार सुस्पष्ट रूप से प्रिंट किये गये फॉर्मों का भी इस्तेमाल करने की अनुमति है.

टैन कौन आबंटित करेगा?

उत्तर : टैन एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये या एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित टिन - एफसी को प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर आयकर विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है. एनएसडीएल आवेदन में दिये गये पते पर आवेदक को टैन सूचित करेगा.

क्या सादे कागज पर टैन के लिए आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं. टैन के लिए आवेदन सिर्फ फॉर्म 49बी में किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म आईटीडी वेबसाइट या एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म टिन -एफसी में भी उपलब्ध है.

क्या फॉर्म 49बी टाइपराइटर पर भरा जा सकता है?

उत्तर: हां. किन्तु टाइपिंग अच्छी छाप के साथ अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में होनी चाहिए.

यदि कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता के पास पुराने फार्मेट के अनुसार टैन है या उसने पहले आवेदन किया था, किन्तु उसे टैन आबंटित नहीं किया गया है, तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर: टिन - एफसी कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं की अपने पास उपलब्ध डेटाबेस से उनके सही टैन का पता लगाने में सहायता करेगा. आईटीडी की वेबसाइट से टैन का सत्यापन किया जा सकता है जिसमें कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता के पुराने टैन / नाम व पते से नये टैन का पता लगाने की सुविधा है. यदि कोई पैन आबंटित नहीं किया गया है तो कटौतीकर्ता को या तो किसी टिन - एफसी में या एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क (50 रु. + लागू सेवा कर) के साथ फॉर्म 49 बी में आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

नजदीकी टिन - एफसी का पता मुझे कहां से मिल सकता है?

उत्तर : सभी टिन - एफसी के पते एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

यदि कटौतीकर्ता को विभिन्न प्रकार के भुगतानों जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश आदि से कर काटना है तो क्या अलग-अलग टैन के लिए आवेदन करना जरूरी है?

उत्तर : एक बार आबंटित टैन का उपयोग सभी प्रकार की कटौतियों / संग्रहणों के लिए किया जा सकता है.

क्या सरकारी कटौतीकर्ताओं को टैन के लिए आवेदन करना चाहिए?

उत्तर : हां. सभी सरकारी कटौतीकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपनी टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना विवरणियों में टैन का उल्लेख करें.

बहु-डीडीओ के मामले में , क्या उन सभी के लिए टैन के लिए आवेदन करना चाहिए?

उत्तर: हां. ऐसे मामले में डिविजन का नाम, शाखा का नाम तथा स्थान या कर काटने / संगृहीत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम, जो भी लागू हो, टैन के आबंटन हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए.

क्या कंपनियों / बैंकों की शाखाएं अलग-अलग टैन रख सकती हैं?

उत्तर : हां. शाखा का नाम तथा स्थान या कर काटने / संगृहीत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम, जो भी लागू हो, टैन के आबंटन हेतु आवेदन में स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए.

यदि टैन आबंटित नहीं किया गया है तो क्या टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना विवरणी टैन के बिना फाइल की जा सकती है?

उत्तर : सभी टीडीएस / टीसीएस / वार्षिक सूचना विवरणियों, चाहे वे कागजी स्वरूप में या इलक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की जाएं, में टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है. यदि सही टैन का उल्लेख नहीं किया गया है तो विवरणी, चाहे वह कागजी स्वरूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्राप्त नहीं की जाएगी.

क्या टैन के स्थान पर पैन का उल्लेख किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं. जब टैन का उल्लेख किया जाता है तब फील्ड में पैन का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए. पैन तथा टैन के आबंटन के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं. टैन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो ऐसे व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है जो आयकर विभाग की ओर से स्रोत पर कर काट या संगृहीत कर रहे हैं. पैन कर-निर्धारितियों जैसे व्यक्तियों, कंपनियों आदि को आबंटित एक विशिष्ट संख्या है.

डुप्लीकेट टैन क्या है?

उत्तर :डुप्लीकेट टैन एक ऐसा टैन है जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा असावधानी से प्राप्त किया गया है जो कर काटने / संगृहीत करने के लिए उत्तरदायी है और जिसके पास पहले से आबंटित टैन है. तथापि किसी संस्था की विभिन्न शाखाएं / डिविजन अलग -अलग टैन रख सकते हैं.

यदि डुप्लीकेट टैन आबंटित किया गया है तो किस टैन का उपयोग किया जाना चाहिए?

उत्तर : यदि डुप्लीकेट टैन आबंटित किया गया है तो उस टैन का उपयोग जारी रखा जाना चाहिए जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है. 'टैन में परिवर्तन या संशोधन हेतु फॉर्म', जिसे एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, या टिन -एफसी या अन्य विक्रेताओं से प्राप्त किया जा सकता है, का उपयोग करते हुए अन्य टैन रद्द किये जाने के लिए अभ्यर्पित किये जाने चाहिए.

यदि मुझे भूल से डुप्लीकेट टैन आबंटित किया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर : यदि डुप्लीकेट टैन आबंटित किया गया है जो 'टैन में परिवर्तन या संशोधन हेतु फॉर्म' जिसे एनएसडीएल - टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या टिन -एफसी या अन्य विक्रेताओं से प्राप्त किया जा सकता है, का उपयोग करते हुए टैन को रद्द करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए.

टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : आप एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आप फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं. जब आप 'Submit' बटन पर

क्लिक करते हैं तब 14 अंकीय विशिष्ट प्राप्तिसूचना संख्या से युक्त एक प्राप्तिसूचना स्क्रीन पर जनरेट होती है. आप इस प्राप्तिसूचना का प्रिंट लें, इस पर हस्ताक्षर करें और इसे प्रोसेसिंग फीस, जो 50 रुपये + सेवा कर (जो लागू हो) है, के साथ एनएसडीएल - टिन वेबसाइट में दिये गये पते पर एनएसडीएल को भेजें. भुगतान एनएसडीएल - टिन के पक्ष में सममूल्य पर मुंबई में देय डीडी / चेक द्वारा या क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है.

पते या विवरण, जिनके आधार पर पैन आबंटित किया गया था, में किसी परिवर्तन की सूचना आयकर विभाग को कैसे दी जा सकती है?

उत्तर : टैन से संबंधित डेटा में किसी परिवर्तन या संशोधन की सूचना किसी भी टिन -एससी में या एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर आवश्यक शुल्क के साथ 'आबंटित टैन के लिए टैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु फॉर्म' भरकर आईटीडी को दी जानी चाहिए.

'आबंटित टैन के लिए टैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन हेतु फॉर्म' प्रस्तुत करते समय मुझे कितना शुल्क देना होगा?

उत्तर : टिन एफसी को अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय याऑनलाइन आवेदन करते समय आपको प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एनएसडीएल / टिन-एफसी को 50 रुपये (+ लागू सेवा कर) शुल्क अदा करना होगा.

यदि मेरे पते में परिवर्तन होता है तो क्या मुझे आईटीडी को सूचित करना चाहिए या मुझे नये टैन के लिए आवेदन करना चाहिए?

उत्तर : अधिकार-क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन से टैन नहीं बदलता है. तथापि इसमें कर - निर्धारण अधिकारी में परिवर्तन होता है. अत: ऐसे परिवर्तन आईटीडी को सूचित किये जाने चाहिए ताकि आईटीडी के टैन डेटाबेस को अद्यतन किया जा सके. एक अधिकार-क्षेत्र से दूसरे अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तन (जैसे पता बेंगलोर से बदलकर मुंबई हो जाता है) के मामले में नये टैन के लिए आवेदन किया जाना चाहिए और नया टैन आबंटित हो जाने पर पिछला टैन अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए.

कर-निर्धारण अधिकारी के ब्यौरे कहां से मिल सकते हैं?

उत्तर: कर-निर्धारण अधिकारी के ब्यौरे एनएसडीएल - टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

टैन आबंटन पत्र खो जाने की स्थिति में कौन-सा कागज टैन के प्रमाण के रूप में काम करेगा?

उत्तर: आयकर विभाग की वेबसाइट से टैन का ब्यौरा दर्शाते हुए वेबपेज का प्रिंट आउट टैन के प्रमाण के रूप में काम करेगा.